

खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन—पत्र

(दस्तावेज साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय / जिला रसद अधिकारी,

उपखण्ड

प्रथम अपीलः— खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता हैः—

1. अपीलार्थी पुत्र/पत्नी/श्री जाति उम्र वर्ष
निवासी ग्राम/कस्बा ग्राम पंचायत/नगरपालिका
तहसील जिला (राज0) का/की स्थाई निवासी है एंव ग्रामीण/शहरी क्षेत्र
का निवासी है।
2. मुखिया व पुरे परिवार का विवरणः—

| क्र. स. | नाम | माता का नाम | पिता/पति का नाम | मुखिया के साथ संबंध | लिंग | उम्र | राशन कार्ड संख्या | यूनिक आई.डी. न. (आधार कार्ड नं.) | जनाधार कार्ड नं. |
|---------|-----|-------------|-----------------|---------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |

3. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समावेश हेतु समावेश के पात्रता संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैः—

समावेश (*Inclusion*) की प्राथमिकता श्रेणीः—

1. अन्त्योत्तर परिवार
2. बीपीएल परिवार
3. स्टेट बीपीएल परिवार
4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा योजनाओं/वर्गों में शामिल है, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:—
 - A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
 - B. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
 - C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
 - D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
 - E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
 - F. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
 - G. महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
 - H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
 - I. सहरिया एवं कथैडी जनजाति परिवार
 - J. भूमिहिन कृषक
 - K. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
 - L. सीमान्त कृषक
 - M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते *exclusion* (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो।
6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभावित परिवार
7. समस्त सरकारी हॉस्पिटल में अन्तः वासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)

8. एकल महिलाएं
 9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
 10. पंजीकृत अनाथालय एंव वृद्धाश्रम एवं कृष्ट आश्रम
 11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
 12. कचरा बीनने वाले परिवार
 13. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
 14. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं
 15. साईकिल रिक्शा चालक
 16. पोर्टर (कुल)
 17. कुष्ट रोगी तथा कुष्ट रोग मुक्त व्यक्ति
 18. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन बागरिया, गाडिया लुहार, भेड़ पालक
 19. वनाधिकार पत्रधारी परम्परोग वनवासी परिवार
 20. लघु कृषक
 21. आस्था कार्डधारी परिवार
 22. अनुसूचित जाती/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति
4. अपीलार्थी उपरोक्त समावेश प्राथमिकता श्रेणियो में अभिलिखित उपर्युक्त की श्रेणी का व्यक्ति है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज संलग्न है।
5. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हेतु निर्धारित (*Exclusion*) श्रेणी (पात्र नहीं) में विर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोइ अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है।
- ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
 - ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशाषी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
 - ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एंव एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)
 - ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्मित पक्का मकान हो।
 - ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख वार्षिक से अधिक हो।
 - ऐसा परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।

नोट:- निष्कासन के नियम सभी श्रेणीयों पर समान रूप से लागू होंगे।

6. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के परिवार, जिसका राशन कार्ड संख्या है को ग्राम/कस्बा ग्राम पंचायत/नगरपालिका तहसील जिला (राज0) में खाद्य सुरक्षा योजना की समावेश सूची में समावेश प्राथमिकता श्रेणी का आदेश जारी करावें। (समावेश श्रेणी का नाम लिखें।)

नोट:- आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी का कोई दस्तावेज साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाकर आवेदन को बकाया दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने के लिए अधिकतम 15 दिवस का समय ओर दिया जायेगा।

संलग्न दस्तावेजों की सूची:-

1. राशन कार्ड
2. आधार कार्ड
3. जनाधार कार्ड
4. पहचान-पत्र
5. पी.पी.ओ./श्रमिक कार्ड/अन्य

हस्ताक्षर अपीलार्थी

| | |
|-----------------|--|
| नाम | |
| पिता/पति का नाम | |
| माता का नाम | |
| मोबाइल नम्बर | |
| पता. | |

शपथ—पत्र / स्वघोषणा

मैं पुत्र/पत्नी श्री

निवासी तहसील

जिला (राज0) घोषणा करता/करती हूँ कि खाद्य एवं
नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जारी
अधिसूचन दिनांक 20.07.2017 के बिन्दु संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 6
श्रेणीयों में मैं/मेरा परिवार शामिल नहीं हैं। यदि मैं/मेरा परिवार जांच में
निष्कासन की श्रेणीयों मे शामिल होना पाया जाता है तो मेरे/हमारे विरुद्ध
कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर अपीलार्थी)

दिनांक :—

स्थान:—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की जाँच रिपोर्ट प्रपत्र

प्रार्थी श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....जाति.....
निवासी.....तहसील.....जिला.....

(राज0) द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र की मौका/रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी विभागीय अधिसूचना दिनांक 25.07.2016 की समावेशन एवं निष्कासन श्रेणी के बिन्दुओं के सम्बन्ध में जाँच की गई। बाद जाँच अनुसार प्रार्थी समावेशन/निष्कासन की पात्रता रखता/रखती है। अतः प्रार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने की या नहीं करने की निचे दिये गये बिन्दुओं की जाँच रिपोर्ट अनुसार अभिशंषा की जाता है।

| क्र0 स0 | जाँच बिन्दु का विवरण | जाँच रिपोर्ट |
|------------|--|--------------|
| 1. | अपीलार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दता है या नहीं। | |
| 2. | ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है या नहीं। | |
| 3. | ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्य के पास चार पहिया वचाहन हो(ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो भी जिविकापार्जन के उपयोग में आता हो) | |
| 4. | ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। | |
| 5. | ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये से अधिक हो। (आय प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न करें) | |
| 6. | ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान न हो। | |

- प्रार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन श्रेणी के बिन्दु संख्या के तहत खाद्य सुरक्षा का पात्र है।
 अथवा
- प्रार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की निष्कासन श्रेणी बिन्दु संख्या के तहत खाद्य सुरक्षा का अपात्र है।

ग्राम विकास अधिकारी

पटवारी हल्का